

छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब मलिंगा 4 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता चर्चा में क्यों?

- 31 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिये आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- सातवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन के लिये महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह लाभ इसी जुलाई महीने की पहली तारीख से मलिंगा। इस वृद्धि के पश्चात् अब महंगाई राहत 42 प्रतिशत हो गई है।
- इसके साथ ही छठवें वेतनमान के मूल पेंशन/परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह लाभ भी इसी साल के जुलाई महीने की पहली तारीख से मलिंगा। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221 प्रतिशत हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि पेंशनर्स की महंगाई राहत के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संबंध में स्वीकृति जल्द प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिविराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। इसके बाद जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हुई, महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ पेंशनर्स को प्रदान करने का अवलिंब नरिणय लिया गया।